न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः– **54 / 2016** अपील (भू राजस्व)

श्री नारायण पिता श्री जालू उर्फ जालमचन्द जी ब्राम्हण, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

...........**अपीलान्ट**

बनाम

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा खेमली, जरिये शाखा प्रबन्धक, उदयपुर (राज.)

...........**रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 निर्णय विरूद्ध तहसीलदार मावली तारीख 24.09.1991 नामान्तरकरण संख्या 531 राजस्व ग्राम चन्देसरा

उपस्थितः (1) श्री सुखलाल मेघवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
(3) श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांकः– ....

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चन्देसरा की कुल आराजी किता 15 रकबा 16 बिघा 8 बिस्वा के 1/2 हिस्सा प्रत्यर्थी बैंक को बंधक रखा था। जिसकी वसुली के प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा राजस्थान कृषि संक्रिया (कठिनाईयो का निराकरण) अधिनियम 1974 एक्ट के तहत भुमि को कुर्क कर निलामी के आदेश दिये गये। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण कुर्की का नहीं खोलकर खातेदारी के अन्तराल का खोलकर स्वीकृत कर दिया गया। जबकि उक्त भुमि को निलामी से किसी को विक्रय नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को बकाया सारी बंधक राशि को अदा कर दिया तथा प्रत्यर्थी बैंक द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो नामान्तरकरण अन्तरण

का खोला गया वह पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित किया गया जिसे तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर विधिक भूल की हैं। जो निरस्त होने योग्य हैं। अपीलार्थी को नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.09.16 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने से हुई। जिस पर दिनांक 29.09.16 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलीय नामान्तरकरण 531 को निरस्त फरमाया जावें।

अपनी अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत धारा 5 कानुन मयाद अधिनियम का समय कण्डोन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं जो शामिल पत्रावली हैं।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली हैं।

अपने जवाब में प्रत्यर्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा वर्णित भूमि में से अपने हिस्से की भूमि को बैंक के नाम रहन रखकर ऋण प्राप्त किया। स्वीकृत ऋण राशि अपीलान्ट द्वारा तय शर्तो के अनुसार भुगतान नहीं किये जाने के कारण उप जिला कलक्टर महोदय मावली के समक्ष रोड़ा एक्ट के तहत कार्यवाही कर आवेदन किया गया। अपीलान्ट द्वारा समझौता प्रस्ताव पेश किया जिसके तहत कुल बकाया राशि 1,35,000/— एवं रोड़ा प्रभार प्राप्त कर बैंक द्वारा ऋण खाता समायोजित कर दिया गया हैं। इस तरह अपीलान्ट द्वारा समझौता प्रस्ताव के अन्तर्गत एकमुश्त समझौता राशि दिनांक 18.12.04 को जमा करवा कर खाता समायोजित करा दिया गया। अब अपीलान्ट के जिम्मे किसी तरह की रहन राशि उक्त जमीन बाबत बकाया नहीं हैं। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा बैंक के नाम रहन कृषि भुमि अपीलान्ट के नाम रदोबदल किये जाने में बैंक को कोई आपत्ति नहीं हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा अपने हिस्से कि कृषि भूमि को रहन रखकर ऋण प्राप्त किया

गया। परन्तु तय शर्तो के अनुसार भुगतान नहीं करने से उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा ऋणी के विरूद्ध रोड़ा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा सहवन से रहन रखी गयी भुमि के खातेदारी का हस्तान्तरण अपीलीय नामान्तरकरण से बैंक के पक्ष में कर दिया गया। संलग्न पत्रावली बैंक के जवाब में निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा कुलिया बकाया राशि बैंक को अदा कर दी गई हैं। रहन कृषि भुमि अपीलान्ट के नाम रदोबदल किये जाने में बैंक को कोई आपत्ति नहीं हैं। साथही यह भी निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाने में रेस्पोडेंट को कोई आपत्ति नहीं हैं।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 531 राजस्व ग्राम चन्देसरा दिनांक 24.09.1991 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के खाते की भुमि पुनः ऋण के पूर्व जैसी थी वैसी दर्ज करें। यदि रेस्पोडेंट/ ऋणी द्वारा खाते में कोई रदोबदल करवाया गया हो तो इस आदेश का प्रभाव इस पर नहीं रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पालना निर्णय के दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर